

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), चौहटन जिला बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी -- रणछोड़ लाल, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद सं. 165/2023

अन्तर्गत धारा 53,188 राज.काश्त.अधि.

वादी - 1. हडमानराम पुत्र चेनाराम जाति जांट निवासी टांका स्टेशन तहसील धनाऊ  
जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण -1. इमरती पत्नी रूपाराम 2. केसरा पुत्र विरधा 3. नेनू पत्नी मघाराम  
4. नानगाराम पुत्र चिमाराम 5. बाबूराम पुत्र चिमाराम 6. भीखा पुत्र विरधा  
7. भीखी पत्नी भीखाराम जाति जाट निवासी भोजावास हाल टांका स्टेशन  
तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर 8. रूपाराम पुत्र विरधा जाति जाट निवासी  
टांका स्टेशन तहसील धनाऊ 9. शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक शाखा  
बालोतरा 10. तहसीलदार/उपपंजीयक धनाऊ


उपस्थित :- वादी वकील - श्री फताराम गोदारा  
प्रतिवादी 10 - राज पेरोकार

--:: निर्णय ::--

दिनांक : 11.12.2025



उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार धनाऊ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो शामिल पत्रावली किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है। अतः न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव अनुसार तहसील धनाऊ के मौजा टांका स्टेशन (आलमसर) के ख. सं. 1074/422 रकबा 0.3885 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं।

  
सहायक कलक्टर  
(SDO) चौहटन



सं.	खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हैक्टर)	किस्म	लगान	बरंग
1	हड़मानराम पुत्र चेनाराम जाति जाट सा.देह	टांका स्टेशन	1074/422	0.1942	बा.सो.	0.06	लाल
2	इमरती पत्नी रूपाराम हि. 243/1943, केसरा पुत्र विरधा हि. 243/1943, नेनू पत्नी मगाराम हि. 243/1943, नानगाराम पुत्र चीमाराम हि. 243/1943, बाबूराम पुत्र चीमाराम हि. 243/1943 भीखा पुत्र विरधा हि. 162/1943, भीखी पत्नी भीखाराम हि. 162/1943, भीखी पत्नी भीखाराम 162/1943, रूपा पुत्र विरधा हि. 242/1943 कौम जाट सा. देह खातेदार	टांका स्टेशन	1074/422	0.1247	बा.सो.	0.05	नीला
			1074/422	0.0696	बा.सो.	0.01	
			02	0.1943	बा.सो.	0.06	



उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावे। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2025 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिले दफतर हो।

( रणछोड़ लाल )  
सहायक कलेक्टर  
सहायक कलेक्टर  
(SDO) चौहदन